**संख्या-32/2023-1521/58-2023-429/2015-51457**

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

**उद्यान अनुभाग** **लखनऊः दिनांकः 7 जुलाई, 2023**

**विषयः- केन्द्र पुरोनिधानित योजना पर ड्राप मोर क्राप-(माइक्रो इरीगेशन) कार्यक्रम में ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई के प्रोत्साहन हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2026-27 तक अतिरिक्त राज्य सहायता (टाप-अप) एवं योजना कार्यान्वयन हेतु दिशानिर्देश के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-465/एम0आई0-42/जी.जी.आर.सी./2022-23, दिनांक 22.03.2023 में प्राप्त संस्तुति के दृष्टिगत उद्यान विभाग के शासनादेश संख्या-32/2022-1240/58-2022-429/2015 दिनांक 30.06.2022 को अवक्रमित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार के पत्र सं0- F.No.17-2/2022- RFS-III दिनांक 05.04.2022 द्वारा पर ड्राप मोर क्राप उपघटक को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अधीन संविलीन किया गया है। भारत सरकार द्वारा निर्गत आपरेशनल गाइड लाइन-2021 में उत्तर प्रदेश को "बी-श्रेणी" में सूचीबद्ध करते हुए निर्धारित इकाई लागत में 15 प्रतिशत वृद्धि की अनुमन्यता प्रदान की गयी है। निर्धारित इकाई लागत के अनुसार 01 हेक्टेयर ड्रिप/स्प्रिंकलर सिंचाई हेतु अलग-अलग फसल, दूरी एवं स्पेसिफिकेशन के अनुसार रू. 27,823 से रु. 1,46,626 तक व्यय होता है। ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई के प्रोत्साहन हेतु भारत सरकार द्वारा लघु सीमांत कृषकों को **55** प्रतिशत एवं अन्य कृषकों को **45** प्रतिशत अनुदान का प्राविधान किया गया है तथा शेष 45 से 55 प्रतिशत धनराशि लाभार्थी अंश के रूप में कृषकों द्वारा वहन करना होता है। इस सिंचाई पद्धति के अधिक लागतजन्य होने के कारण कृषकों में इसकी ग्राह्यता कम रही है। कृषकों में ग्राह्यता बढ़ाने एवं इस सिंचाई पद्धति के अंगीकरण में कृषकों के बोझ को कम करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2017-18 में मा0 मंत्रि-परिषद् के अनुमोदन से शासनादेश सं0-15/2017-1843/58-2017-429/2017 दिनांक 12.07.2017 द्वारा सभी कृषकों को 35 प्रतिशत अतिरिक्त राज्यांश दिये जाने का निर्णय लिया गया, जो समान रूप से बागवानी, कृषि एवं

https://shasanadesh.up.gov.in

गन्ना फसल में 2017-18 से 2021-22 तक लागू रही। अधिक लागत जन्य ड्रिप सिंचाई, मिनी एवं माइक्रो स्प्रिंकलर जल संचयन एवं गुणात्मक उत्पादन हेतु हाई वैल्यू सब्जियों एवं गन्ना फसल में अधिक उपयोगी है। साथ ही कम लागत जन्य पोर्टेबल एवं लार्ज वाल्यूम (रेनगन) स्प्रिंकलर का उपयोग कृष्य फसलों, दलहनी, तिलहनी एवं पत्तेदार सब्जियों में अधिकाधिक उपयोग किया जाता है।

**2.** कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या 17-21/2020/ RFS-III दिनांक 14.12.2022 द्वारा देश के समस्त प्रदेशों को "पर ड्राप मोर क्राप योजना" के वेब बेस्ड पोर्टल एवं आनलाइन एम.आई.एस. लागू करने हेतु गुजरात ग्रीन रिवोल्यूशन कम्पनी (जी.जी.आर.सी.) की कन्सल्टेन्सी सर्विसेज प्राप्त कर आई.टी. बेस्ड माडल को अपनाये जाने का परामर्श दिया गया है ताकि योजना का पारदर्शी तरीके से क्रियान्वयन हो सके और माइक्रोइरीगेशन का बेहतर अंगीकरण प्राप्त हो सके। भारत सरकार के उपरिसंदर्भित एडवाइजरी तथा शासन के पत्र संख्या 4129/58-2022-429/2015 दिनांक 27.12.2022 के आलोक में उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश एवं गुजरात ग्रीन रिवोल्यूशन कम्पनी के मध्य दिनांक 28.12.2022 को मेमोरेन्डम आफ अण्डरस्टैडिंग (MoU) हस्ताक्षरित किया गया। हस्ताक्षरित एम.ओ.यू के अनुसार आई.टी बेस्ड मानीटरिंग इन्फारमेंशन सिस्टम (एम.आई.एस.) एवं क्रियान्वयन प्रणालियों को लागू किया जा रहा है।

**3**. लाभार्थी कृषकों के व्यय भार को कम करने, जल संचयन एवं गुणवत्तापूर्ण उत्पादन के लिए योजनान्तर्गत अनुमन्य केन्द्रांश एवं अनिवार्य राज्यांश के साथ ही अतिरिक्त राज्यांश (टॉप-अप) अनुमन्य किये जाने हेतु व्यवस्था निम्नवत् है:-

(1) **<u>पात्रता:</u>**

**i.** सिंचाई के लिए लाभार्थी के पास पानी का श्रोत उपलब्ध हो, जिसमें सार्वजनिक, निजी एवं साझे का स्रोत सम्मिलित है।

**ii.** लाभार्थी कृषक अनुदान के अतिरिक्त अवशेष धनराशि स्वयं के श्रोत से अथवा ऋण प्राप्त कर वहन करने हेतु सक्षम व सहमत हो।

**iii.** व्यक्तिगत लाभार्थी को अधिकतम 5 हेक्टेयर की सीमा तक ड्रिप सिंचाई, मिनी स्प्रिंकलर, माइक्रो स्प्रिंकलर, सेमीपरमानेन्ट स्प्रिंकलर, पोर्टेबल स्प्रिंकलर एवं लार्ज वॉल्यूम (रेनगन) स्प्रिंकलर पर अनुदान देय होगा, जिसके लिए लाभार्थी के पास स्वयं की भूमि होनी चाहिए।

https://shasanadesh.up.gov.in

**iv.** योजना का लाभ सहकारी समितियों के सदस्यों, सेल्फ हेल्प ग्रुप, इनकार्पोरेटेड कम्पनीज, पंचायती राज संस्थाओं, गैर सहकारी संस्थाओं, ट्रस्ट्स, उत्पादक कृषकों के समूह के सदस्यों को भी भारत सरकार के आपरेशनल गाइड लाइन्स के अनुसार अनुमन्य होगा।

**v.** ऐसे लाभार्थियों/संस्थाओं को भी योजना का लाभ अनुमन्य होगा जो संविदा खेती (कान्ट्रेक्ट फार्मिंग) अथवा न्यूनतम 07 वर्ष के लीज एग्रीमेन्ट की भूमि पर बागवानी/खेती करते हैं।

**vi.** एक लाभार्थी कृषक/संस्था को उसी भू-भाग पर दूसरी बार 07 वर्ष के पश्चात् ही योजना का लाभ अनुमन्य होगा।

**(2)** **<u>फडिंग पैटर्न</u>**: भारत सरकार के पत्र सं. F.No. 17-13/2021-RFS-II दिनांक 08.10.2021 द्वारा 'पर ड्रॉप मोर क्रॉप-माइक्रोइरीगेशन' कार्यक्रम की ऑपरेशनल गॉइड लाइन्स निर्गत की गयी है, जो प्रभावी है। योजनान्तर्गत ड्रिप सिंचाई के लैटरल्स स्पेसिंग के आधार पर 15 श्रेणी एवं स्प्रिंकलर सिंचाई के 5 श्रेणी में वर्गीकृत करते हुए संशोधित इकाई लागत के साथ योजना क्रियान्वित किये जाने की अपेक्षा की गयी है। योजना के वित्त पोषण हेतु केन्द्रांशःराज्यांश का फण्डिंग पैटर्न 60:40 निर्धारित किया गया है।

**4.** भारत सरकार द्वारा 2017-18 से योजनान्तर्गत वृहद जल संसाधन की परियोजनाओं में वित्तीय संसाधनों की पूर्ति हेतु नाबार्ड में सृजित "माइक्रोइरीगेशन फण्ड" से त्रिपक्षीय एग्रीमेंट के आधार पर निर्धारित ब्याज दर पर ऋण प्राप्त कर भी वहन किये जाने की व्यवस्था की गयी है। विगत वित्तीय वर्षों में उत्तर प्रदेश के लिये संसूचित केन्द्रांश के सापेक्ष आवश्यकतानुसार राज्यांश अनुदान टाप-अप सहित सम्मिलित कर आय-व्ययक प्राविधान की व्यवस्था जारी रही। आगामी वर्षों में वित्त विभाग की सहमति से यथाआवश्यक इस फण्ड का उपयोग अतिरिक्त टाप-अप के लिये किया जायेगा।

**5**. भारत सरकार के मार्ग निर्देश 2021 के अनुसार निर्धारित इकाई लागत पर केन्द्रांश एवं राज्यांश सम्मिलित कर लघु सीमांत कृषकों को कुल 55 प्रतिशत तथा अन्य कृषकों को कुल 45 प्रतिशत अनुदान की व्यवस्था निर्धारित है। इकाई लागत के सापेक्ष अनुदान के अतिरिक्त शेष 45 से 55 प्रतिशत धनराशि कृषकों को स्वयं वहन करने एवं अधिक लागतजन्य होने के कारण प्रदेश में कृषकों द्वारा सूक्ष्म सिंचाई का अंगीकरण कठिन होता है।

**6**. वार्षिक कार्ययोजना की संरचना भारत सरकार द्वारा निर्धारित वार्षिक केन्द्रांश लक्ष्य पर निर्भर करती है। भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के लिए केन्द्रांश एलोकेशन को आधार मानते हुए वर्षवार भौतिक लक्ष्य, योजना का आकार, केन्द्रांश, राज्यांश एवं अतिरिक्त राज्यांश का विवरण निर्धारित किया जायेगा।

https://shasanadesh.up.gov.in

**7**. पर ड्राप मोर क्राप-माइक्रोइरीगशन में ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई सुविधा हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित इकाई लागत के सापेक्ष योजना कार्यान्वयन हेतु निम्न व्यवस्था निर्धारित की जाती हैः-

i ड्रिप सिंचाई, मिनी एवं माइक्रो स्प्रिंकलर के लिए लघु सीमांत कृषकों को पूर्व की भांति यथावत् 90 प्रतिशत एवं अन्य कृषकों को 80 प्रतिशत अनुदान की सुविधा सुलभ करायी जाये जो इस अधिक लागतजन्य सिंचाई विधा के अंगीकरण में प्रेरक एवं सहायक होगा। कुल अनुदान में अनिवार्य राज्यांश के साथ ही लघु सीमांत एवं अन्य कृषकों को 35-35 प्रतिशत अतिरिक्त राज्यांश अनुदान (टॉप-अप) के रूप में सम्मिलित होगा।

ii कम लागतजन्य पोर्टेबल, सेमी परमानेन्ट एवं लार्ज वाल्यूम (रेनगन) स्प्रिंकलर से कृष्य फसलों, पत्तेदार सब्जियों, दलहन, तिलहन आदि में उपयोग हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित इकाई लागत के सापेक्ष लघु सीमान्त कृषकों को 75 प्रतिशत एवं अन्य कृषकों को 65 प्रतिशत कुल अनुदान देय है। इस प्रकार पोर्टेबल, सेमी परमानेन्ट एवं लार्ज वाल्यूम (रेनगन) स्प्रिंकलर पर कुल अनुदान में लघु सीमान्त एवं अन्य कृषकों को 20 प्रतिशत अतिरिक्त राज्यांश अनुदान (टाप-अप) के रूप में सम्मिलित होगा। अनुदान की यह व्यवस्था वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2026-27 तक के लिए निम्नवत् होगी:-

| **वर्ष** | **आच्छादित क्षेत्र** | **कम्पोनेन्ट** | **लाभार्थी श्रेणी** | **केन्द्रांश (60%)** | **राज्यांश (40%)** | **अतिरिक्त राज्यांश** (Top-up) | **कुल राज्यांश** | **कुल अनुदान** | **लाभार्थी अंश** | **वस्तु एवं सेवा कर** (GST) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2026-27 तक के लिए अनुदान | प्रदेश के समस्त जनपद | ड्रिप/ मिनी/ माइक्रो स्प्रिंकलर | लघु एवं सीमान्त कृषक | 33% | 22% | 35% | 57% | 90% | 10% | भारत सरकार द्वारा यथा निर्धारित जी.एस.टी. लाभार्थी कृषकों द्वारा वहन किया जायेगा। |
| | | | अन्य कृषक | 27% | 18% | 35% | 53% | 80% | 20% | |
| | | पोर्टेबल, सेमी परमानेन्ट एवं लार्ज वाल्यूम (रेनगन) स्प्रिंकलर | लघु एवं सीमान्त कृषक | 33% | 22% | 20% | 42% | 75% | 25% | |
| | | | अन्य कृषक | 27% | 18% | 20% | 38% | 65% | 35% | |

https://shasanadesh.up.gov.in

उक्त व्यवस्था के अनुसार अतिरिक्त राज्यांश अनुमन्य किये जाने पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित फण्डिंग पैटर्न 60:40 के अनुसार लाभार्थी कृषक पर पड़ रहे व्यय भार 45-55 प्रतिशत से घटकर 10-35 प्रतिशत हो जायेगा, जिसके फलस्वरूप बागवानी, कृषि एवं गन्ना फसल में ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति कृषकों के मध्य अधिक ग्राह्य हो सकेगा।

**8. <u>पंजीकृत निर्माता फर्मों की दरों का निर्धारण:</u>**

उद्यान विभाग के शासनादेश संख्या 562/58-2023-429/2015 दिनांक 11.03.2023 के अनुसार गुजरात ग्रीन रिवोल्यूशन कम्पनी लि. (जी.जी.आर.सी.) द्वारा प्रस्तावित दरें (जिन पर माइक्रोइरीगेशन कम्पनियाँ गुजरात में काम कर रही हैं, उस दर पर उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में 15 प्रतिशत बढ़ाते हुये जो दरें अंतिम की गयी हैं) उस पर निविदा आमंत्रित करते हुये प्रत्येक कम्पोनेन्ट के सापेक्ष प्राप्त एल-1 की दर को एम.आई. सिस्टम के लिए कम्पाइल करते हुये माइक्रोइरीगेशन सिस्टम की दरें डिस्कवर की जाय। उक्त दरों पर काम करने के लिए पात्र एवं इच्छुक कम्पनियों की सहमति प्राप्त करते हुये उन्हें इम्पैनल कर आगे की कार्यवाही की जाय।

**9. <u>कृषक पंजीकरण एवं डी.बी.टी. प्रक्रिया से अनुदान अन्तरण:</u>**

**i.** प्रथम-आवक प्रथम-पावक के सिद्धांत पर कृषकों के चयन की प्रक्रिया नवीन आई.टी बेस्ड साफ्टवेयर (UPMIP PORTAL) के माध्यम से किया जायेगा, जिसमें अदर इंटरवेंशन से निर्मित खेत-तालाब, अटल भूजल के आच्छादित ग्राम पंचायत, अतिदोहित, क्रिटिकल, सेमी क्रिटिकल, नमामि गंगे, आकांक्षात्मक जनपद एवं आकांक्षात्मक विकासखण्ड आदि प्राथमिकता के क्षेत्र होंगे और इन लाभार्थियों को यथावश्यक पोर्टल पर प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।

**ii.** योजना के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा निर्गत आपरेशनल गाइड लाइन में निर्माता फर्मों के पंजीकरण हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए उत्तर प्रदेश में कार्य करने हेतु इच्छुक माइक्रोइरीगेशन के निर्माता फर्मों का पंजीकरण सतत् प्रक्रिया के रूप में राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति के निर्देशानुसार किया जायेगा।

**iii.** पंजीकृत निर्माता फर्मों को न्यूनतम 10 विकासखण्डों के लिए चिन्हित किया जायेगा। निर्माता फर्म चिन्हित विकासखण्ड में ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति तकनीकों के प्रचार-प्रसार एवं पद्धति स्थापना का कार्य करेंगी। उक्त के साथ ही निर्माता फर्म अपनी क्षमता के अनुसार प्रदेश के अन्य विकासखण्डों में भी ड्रिप एवं स्प्रिंकलर पद्धति की स्थापना कार्य के लिए स्वतंत्र होंगी।

https://shasanadesh.up.gov.in

**iv.** पंजीकृत कृषक, निर्माता फर्म एवं उद्यान विभाग की ओर से जिला उद्यान अधिकारी/ अधीक्षक, राजकीय उद्यान/ आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी (जनपदीय उद्यान अधिकारी) के मध्य त्रिपक्षीय समझौता (ट्राई पार्टाइट एग्रीमेंट-टी.पी.ए.) किया जायेगा। उद्यान विभाग की ओर से जिला उद्यान अधिकारी/ अधीक्षक राजकीय उद्यान/ आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी (जनपदीय उद्यान अधिकारी) त्रिपक्षीय समझौता पर हस्ताक्षर करेंगे। त्रिपक्षीय समझौता हस्ताक्षर करने के समय पंजीकृत कृषक द्वारा योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु देय कृषक अंश की धनराशि उद्यान विभाग के मुख्यालय स्तर पर सिंगल सेन्ट्रल बैंक एकाउण्ट 'पर ड्राप मोर क्राप-माइक्रोइरीगेशन' योजना के संचालित एस.एन.ए. बैंक शाखा में ही खोलकर आनलाइन पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से जमा करायी जायेगी, जिसका संचालन वित्त नियंत्रक एवं निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।

**v.** जनपदीय उद्यान अधिकारी द्वारा त्रिपक्षीय समझौता के उपरान्त सम्बन्धित लाभार्थी कृषक के पक्ष में आनलाइन स्वीकृति आदेश निर्गत किया जायेगा और उसकी प्रतिलिपि निर्माता फर्म को निर्धारित टाइम लाइन के अनुसार सामग्री आपूर्ति/स्थापना हेतु प्रेषित की जायेगी।

**vi.** त्रि-पक्षीय समझौता के उपरान्त कृषक अंश (सामग्री अंश) की धनराशि चयनित निर्माता फर्म को विभाग द्वारा अग्रिम के रूप में भुगतान पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से किया जायेगा।

**vii.** लाभार्थी के प्रक्षेत्र पर स्थापित/आपूर्तित ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति के प्राप्त सामग्री की मात्रा के शत-प्रतिशत सत्यापन, जियो टैगिंग एवं जियो फेन्सिग हेतु इम्पैनल्ड थर्ड पार्टी इंस्पेक्सन एजेंसी (टी.पी.आई.ए.) द्वारा किया जायेगा। जियो टैगिंग/जियो फेन्सिग के लिए विकसित मोबाइल एप्लीकेशन का प्रयोग किया जायेगा। टी.पी.आई.ए. द्वारा किये गये निरीक्षण के सापेक्ष प्रस्तुत बिल/इनवायस पर अनुमन्य राशि का भुगतान केन्द्रीकृत प्रणाली के अनुसार मुख्यालय स्तर से किया जायेगा।

**viii.** पंजीकृत निर्माता फर्मों द्वारा पंजीकृत लाभार्थियों को आपूर्तित/स्थापित किये गये पद्धति के निर्गत बिल/इनवाइस एवं अन्य सभी आवश्यक अभिलेख UPMIP PORTAL पर ऑन लाइन अपलोड करते हुए भौतिक रूप से जनपदीय उद्यान अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत किये जायेंगे।

https://shasanadesh.up.gov.in

**ix.** लाभार्थी कृषक से प्राप्त संतुष्टि प्रमाण-पत्र एवं थर्ड पार्टी इंस्पेक्सन एजेंसी (टी.पी.आई.ए.) की संस्तुति के आधार पर भुगतान की कार्यवाही की जायेगी। टी.पी.आई.ए. द्वारा सत्यापित ड्रिप/स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति का रैन्डम सत्यापन नामित विभागीय अधिकारियों द्वारा भी यथावश्यक किया जायेगा।

**x.** **<u>अनुदान अंतरणः-</u>** योजनान्तर्गत अनुमन्य अनुदान के अन्तरण हेतु लाभार्थी कृषक द्वारा निम्न तीन विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन किया जायेगाः-

**अ.** लाभार्थी कृषक द्वारा अनुदान की समस्त धनराशि स्वयं वहन करने की स्थिति में शासकीय अनुदान की धनराशि डी.बी.टी. के माध्यम से लाभार्थी कृषक के आधार सीडेड बैंक खाते में अन्तरित की जायेगी।

**अथवा**

**ब.** लाभार्थी कृषक द्वारा अनुदान की धनराशि स्वयं वहन न कर पाने की स्थिति में उनकी सहमति से शासकीय अनुदान की धनराशि के समतुल्य डी.बी.टी. इन काइण्ड के रूप मे पंजीकृत निर्माता फर्म के बैंक खाते में अन्तरित की जायेगी।

**अथवा**

**स.** लाभार्थी कृषक द्वारा ऋण लिये जाने की स्थिति में शासकीय अनुदान की धनराशि डी.बी.टी. के माध्यम से लाभार्थी कृषक के आधार सीडेड बैंक ऋण खाते में अन्तरित की जायेगी।

10. **<u>योजनान्तर्गत लाभार्थी कृषक को आपूर्तित सामग्री/ स्थापित सिंचाई पद्धति का बीमा कराया जानाः-</u>**

ड्रिप सिंचाई, मिनी स्प्रिंकलर एवं माइक्रो स्प्रिंकलर पद्धति अधिक लागतजन्य होने के कारण प्राकृतिक आपदा, आग व चोरी आदि से क्षति की नियमानुसार प्रतिपूर्ति हेतु बीमा कम्पनियों की सहमति से बीमा कराये जाने का प्राविधान किया जायेगा और इसके लिए निर्धारित प्रीमियम की धनराशि इकाई लागत में सम्मिलित की जायेगी तथा प्रीमियम का भुगतान सम्बन्धित बीमा कम्पनी को मुख्यालय स्तर से किया जायेगा।

11. **<u>सेमी परमानेन्ट स्प्रिंकलर पद्धति का समावेशः-</u>**

https://shasanadesh.up.gov.in

भारत सरकार के परिपत्र संख्या F.NO 17-21/2020-RFS-III दिनांक 03.01.2023 द्वारा स्प्रिंकलर श्रेणी में सेमीपरमानेन्ट स्प्रिंकलर को सम्मिलित किया गया है। तद्नुसार सेमीपरमानेन्ट स्प्रिंकलर को पोर्टेबल एवं लार्ज वाल्यूम (रेनगन) की श्रेणी में सम्मिलित करते हुए अनुमन्य अनुदान कृषकों को सुलभ होगा।

**12. <u>डाटा सेन्टर की स्थापना:-</u>**

विभागीय वेब पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण एवं भुगतान तक की सभी गतिविधियों को प्रभावी एवं अधिक पारदर्शिता के साथ लागू किये जाने के लिए एम.ओ.यू. के अनुसार विभाग में डाटा सेन्टर की स्थापना अथवा उपलब्ध क्लाउड सर्वर का उपयोग किया जायेगा।

**13. उद्यान विभाग के आई टी बेस्ड** UPMIP Portal **पर योजना के समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु फ्लो-चार्ट निम्नवत् निर्धारित की जाती है:-**

| **क्र.सं.** | **गतिविधि एवं निर्धारित टाइमलाइन** | **स्तर** |
|---|---|---|
| I. | इच्छुक कृषक द्वारा स्वयं/उद्यान विभाग/पंजीकृत आपूर्तिकर्ता फर्म के सहयोग से पोर्टल पर पंजीकरण एवं आवश्यक अभिलेखों सहित आन लाइन जमा करना। | जनपद स्तर |
| II. | आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा सामग्री आंगणन (BoQ) एवं ले-आउट/डिजाइन आन लाइन अपलोड करना तथा अभिलेखों का सत्यापन। (05 दिवस) | जनपद स्तर |
| III. | सामग्री आंगणन (BoQ) एवं ले-आउट/डिजाइन का मुख्यालय स्तर से आन लाइन केन्द्रीकृत सत्यापन। (03 दिवस) | मुख्यालय स्तर |
| IV. | कृषकों को स्वीकृति पत्र का निर्गमन एवं आपूर्तिकर्ता फर्म को आन लाइन केन्द्रीकृत प्रणाली से उपलब्ध कराया जाना। (03 दिवस) | मुख्यालय स्तर |
| V. | जनपदीय उद्यान अधिकारी, लाभार्थी कृषक एवं आपूर्तिकर्ता फर्म के मध्य त्रिपक्षीय समझौता (TPA) तथा कृषक अंश का सिंगल बैंक एकाउण्ट में भुगतान। | जनपद स्तर |
| VI. | शत प्रतिशत कृषक अंश (सामग्री अंश) का चयनित फर्म को अग्रिम आन लाइन केन्द्रीकृत भुगतान। (टी.पी.ए. हस्ताक्षर के 07 दिवस) | मुख्यालय स्तर |
| /II. | खुदाई कार्य सहित चयनित फर्म द्वारा कृषक प्रक्षेत्र पर साम्रगी आपूर्ति एवं सूक्ष्म सिंचाई पद्धति स्थापना।<br>क-पोर्टेबल स्प्रिंकलर, सेमी परमानेंट एवं लॉर्ज वाल्यूम (रेनगन) - | जनपद स्तर (लाभार्थी कृषक एवं आपूर्तिकर्ता |

https://shasanadesh.up.gov.in

| | | |
|---|---|---|
| | (20 दिवस)<br>ख-ड्रिप सिंचाई, मिनी एवं माइक्रो स्प्रिंकलर -<br>(30 दिवस) | फर्म) |
| III. | थर्ड पार्टी इन्सपेक्शन एजेन्सी (TPIA) द्वारा आपूर्तित सामग्री का सत्यापन एवं सूक्ष्म सिंचाई पद्धति का ट्रायल रन।<br>(07 दिवस) | जनपद स्तर |
| IX. | बीमा कम्पनी द्वारा आपूर्तित/स्थापित सूक्ष्म सिंचाई पद्धति का बीमा कवरेज। | मुख्यालय स्तर |
| X. | आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा अन्तिम भुगतान हेतु सभी आवश्यक अभिलेख, सामग्री सत्यापन एवं ट्रायल रन रिपोर्ट के साथ आन लाइन पोर्टल पर अपलोड कर भौतिक रूप से जनपदीय उद्यान अधिकारी कार्यालय में जमा करना। | जनपद स्तर |
| XI. | जनपदीय उद्यान अधिकारी द्वारा अभिलेखों का सत्यापन एवं अन्तिम भुगतान हेतु आन लाइन पोर्टल पर जमा करना। | जनपद स्तर |
| XII. | आन लाइन केन्द्रीकृत प्रणाली द्वारा मुख्यालय स्तर से निर्माता फर्मों अथवा लाभार्थी द्वारा चयनित विकल्प के अनुसार तथा टी.पी.आई.ए. एवं बीमा कम्पनी को अंतिम भुगतान।<br>(बिल/इनवाइस एवं अन्य आवश्यक अभिलेख जमा करने के 20 दिवस) | मुख्यालय स्तर |

14. **<u>योजना क्रियान्वयन पर अनुमानित व्यय भार:-</u>**

i. उद्यान विभाग के शासनादेश संख्या 32/2022-1240/58-2022-429/2015 दिनांक 30.06.2022 द्वारा योजनान्तर्गत ड्रिप एवं स्प्रिंकलर के लिए निर्धारित अनुदान पैटर्न पर ही योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा।

ii. योजना के कुशल कार्यान्वयन हेतु आई.टी. बेस्ड साफ्टवेयर डवलपमेन्ट, कन्सल्टेन्सी एवं डाटा सेन्टर की स्थापना, प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट (पी.एम.यू.) के गठन एवं थर्ड पार्टी इंस्पेक्सन एजेंसी (टी.पी.आई.ए.) आदि पर होने वाला व्यय योजना के अधीन अनुमन्य प्रशासनिक मद (42-अन्य व्यय मद) एवं निर्माता फर्मों के पंजीकरण शुल्क से प्राप्त धनराशि से वहन किया जायेगा।

15. योजना संचालन हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्गत मार्ग निर्देश में किसी प्रकार के परिवर्तन/ परिमार्जन की स्थिति में मा0 मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन से ही यथावश्यक

https://shasanadesh.up.gov.in

संशोधन किया जायेगा। वित्तीय उपाशय निहित होने पर मा0 मंत्रि-परिषद का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

कृपया उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

**(मनोज कुमार सिंह)**
अपर मुख्य सचिव।

**संख्याः 32/2023-1521(1)/58-2023, तद्दिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. निजी सचिव, कृषि सचिव, भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली।
3. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख सचिव/मुख्य सचिव अपर, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. प्रमुख सचिव/ अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7. प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास, उत्तर प्रदेश शासन।
8. प्रमुख सचिव/ अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
9. प्रमुख सचिव/ अपर मुख्य सचिव,सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
10. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
11. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
12. वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-1
13. बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
14. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
15. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।
16. गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
17. वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
18. समस्त संयुक्त निदेशक, औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र /मुख्य उद्यान विशेषज्ञ / सिस्ट्रस विशेषज्ञ,उत्तर प्रदेश।
19. समस्त उपनिदेशक, उद्यान, उत्तर प्रदेश।

https://shasanadesh.up.gov.in

**20.** समस्त जिला उद्यान अधिकारी/ अधीक्षक राजकीय उद्यान / आलू एवंशाकभाजी विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

**21.** गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

**(आनन्द कुमार राय)**
संयुक्त सचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in